



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55588

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-584 वर्ष 2026

संदीप कुमार कश्यप

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता:

कु. अश्रा, मोहम्मद समीउज्जमान खान

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-66

(150 में से क्रम संख्या 28)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री मोहम्मद समीउज्जमान खान, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से; श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक द्वारा वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या-3 वर्ष 2024, धारा 302, 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना ग्वाल्दोली, जनपद कानपुर नगर में, जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ योजित किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. यह आवेदक की ओर से योजित दूसरा जमानत आवेदन है। पहला जमानत आवेदन इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 28292 वर्ष 2024 में दिनांक 17.9.2024 को पारित आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया था और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"श्री इंद्र पाल सिंह राजपूत, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

इस जमानत आवेदन के माध्यम से आवेदक ने थाना ग्वालटोली, जनपद कानपुर नगर में अपराध क्रमांक 3, 2024, धारा 302, 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3/25/27 के अधीन जमानत पर रिहाई की प्रार्थना की है। आवेदक 12.01.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक का जमानत आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 06.07.2024 को अस्वीकार किया जा चुका है।

आवेदक को मुख्य अपराधी के रूप में चिह्नित किया गया है जिसने मृतक को मौत के घाट उतारा। हत्या में प्रयुक्त रक्त से सने हथियार की बरामदगी आवेदक के इशारे पर हुई है। सूक्ष्म रासायनिक परीक्षण एवं आवेदक के हाथों से लिए गए स्वाब के नमूनों में बारूद के अवशेष एवं मानव रक्त के धब्बे की उपस्थिति प्रकट होती है। आवेदक एक अभ्यासी अपराधी है। अपराध गंभीर है। इस बात की संभावना है कि आवेदक ने अपराध किया हो। इस स्तर पर जमानत का कोई आधार नहीं बनता।

प्रकरण के गुण-दोष में गए बिना जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



श्री इंद्र पाल सिंह राजपूत, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से यह तर्क देते हैं कि विचारण कछुए की गति से चल रहा है और उसके शीघ्र समाप्त होने का कोई संकेत नहीं है। अभियोजन पक्ष जानबूझकर आवेदक की कारावास अवधि को दीर्घ करने के लिए विचारण के संचालन में विलंब कर रहा है। विचारण में विलंब उत्पन्न करने वाले अन्य पहलुओं को भी रेखांकित किया गया है, जिनमें धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधिदेश का विचारण न्यायालय द्वारा ईमानदारी से क्रियान्वयन न किया जाना भी शामिल है। उत्तर प्रदेश राज्य में विचारणों में विलंब के अन्य अवरोध जैसे पुलिस द्वारा सम्मन की त्वरित तामील न करना एवं विचारण न्यायालय द्वारा साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी बलपूर्वक उपायों का क्रियान्वयन न करना भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुस्थापित हैं और उन पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए विचारण न्यायालय को विचारण में तेजी लाने का निर्देश देकर न्याय के हित की पूर्ति होगी।

यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता में विचारण समाप्त करने की कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं है, तथापि धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता की विधायी मंशा स्पष्ट है। इस प्रावधान की योजना यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विधायी मंशा विचारण को शीघ्र समाप्त करने की है। इस प्रकरण के तथ्यों में विद्वान विचारण न्यायालय विचारण को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए समस्त प्रयास करेगा। अधिमानतः विचारण न्यायालय अपने लिए विचारण समाप्त करने की एक उचित समय-सीमा, जैसे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष, निर्धारित करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचारण न्यायालय को अभियुक्तों के अधिकारों के प्रति भी सचेत रहना है और वह कानूनी दायित्व के अधीन है कि साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विधि के अनुसार समस्त शीघ्र, आवश्यक एवं बलपूर्वक उपाय अपनाए जाएं। जो अधिवक्ता अथवा पक्षकार कार्यवाही में विलंब करते हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें न केवल हतोत्साहित किया जाना चाहिए बल्कि उचित मामलों में ऐसे पक्षकारों/अधिवक्ताओं पर अनुकरणीय लागत भी अधिरोपित की जानी चाहिए। समस्त साक्षियों एवं अधिवक्ताओं को विचारण कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय विचारण में तेजी लाने के लिए धारा 62 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार नियमित प्रक्रिया द्वारा तथा धारा 69 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन रजिस्टर्ड डाक से भी सम्मन जारी करेगा।

विद्वान विचारण न्यायालय उन समस्त साक्षियों के विरुद्ध, जो विचारण कार्यवाही में उपस्थित नहीं होते, विधि के अनुसार समस्त कठोर बलपूर्वक उपाय तत्काल करेगा। जो अधिवक्ता अथवा पक्षकार कार्यवाही में विलंब करते हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें न केवल हतोत्साहित किया जाना चाहिए बल्कि उचित मामलों में ऐसे पक्षकारों/अधिवक्ताओं पर अनुकरणीय लागत भी अधिरोपित की जानी चाहिए।

पुलिस अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जारी वारंट या विधि के अनुसार किसी भी बलपूर्वक उपाय का त्वरित क्रियान्वयन हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जनपद कानपुर नगर के पुलिस उपायुक्त विचारण न्यायालय द्वारा जारी वारंट/सम्मन की तामील की स्थिति के संबंध में नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष शपथपत्र योजित करेंगे।

सांविधिक अधिदेश के बावजूद पुलिस अधिकारीगण द्वारा सम्मन की तामील न करने अथवा साक्षियों को विचारण में उपस्थित करने के लिए बलपूर्वक उपायों का क्रियान्वयन न करने के कारण विचारणों में उत्पन्न होने वाला विलंब गंभीर चिंता का विषय है। उक्त विषय इस न्यायालय के समक्ष भंवर सिंह @ करमवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 SCC OnLine All 734 एवं जितेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 9126 वर्ष 2023) में विचार हेतु उठा था और क्रमशः दिनांक 24.08.2023 एवं 20.12.2023 के निर्णयों द्वारा निर्णीत किया गया था। इस न्यायालय ने भंवर सिंह @ करमवीर (उपरोक्त) एवं जितेंद्र (उपरोक्त) में सम्मन की त्वरित तामील एवं साक्षियों की उपस्थिति के लिए बलपूर्वक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के संबंध में पुलिस प्राधिकरण के सांविधिक कर्तव्य के बारे में कुछ निर्देश जारी किए थे।

उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश सरकार ने भंवर सिंह @ करमवीर (उपरोक्त) एवं जितेंद्र (उपरोक्त) के निर्णयों के अनुपालन में सुसंगत आदेश जारी किए थे और उक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नोडल अधिकारी नामित किया था।

अधिवक्ताओं एवं विद्वान विचारण न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा नूर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 (5) ADJ 766 में जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। यदि विचारण के दौरान कोई हड़ताल होती है, तो विद्वान विचारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण में विलंब रोकने के लिए नूर आलम (उपरोक्त) में जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करे।

यदि पुलिस प्राधिकरण इस न्यायालय द्वारा भंवर सिंह @ करमवीर (उपरोक्त) एवं जितेंद्र (उपरोक्त) में जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है और साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्मन की तामील एवं बलपूर्वक उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार एवं गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के उक्त निर्देशों को लागू नहीं कर रहा है, तो विद्वान विचारण न्यायालय संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शपथपत्र योजित करने का निर्देश देगा।

विद्वान विचारण न्यायालय इस बात की जांच करने का दायित्व निभाएगा कि इस न्यायालय के भंवर सिंह @ करमवीर (उपरोक्त) एवं जितेंद्र (उपरोक्त) के निर्णयों के साथ-साथ उनके अनुपालन में जारी पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार एवं गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का क्रियान्वयन हुआ है या नहीं, और विधि के अनुसार उचित कार्यवाही करेगा।

विद्वान विचारण न्यायालय ऐसे शपथपत्र की प्राप्ति के पश्चात विधि में उचित उपाय भी करेगा, जिसमें संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब करना भी सम्मिलित हो सकता है।

यह आगे निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई अभियुक्त जिसे जमानत पर रिहा किया गया है, विचारण में सहयोग नहीं करता अथवा विलंबकारी युक्ति अपनाता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और इस न्यायालय का सहारा लिए बिना जमानत निरस्त करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचारण न्यायाधीश विचारण की प्रगति एवं इस आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की पाक्षिक रिपोर्ट विद्वान जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगा।

इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा ई-मेल के माध्यम से विद्वान जिला न्यायाधीश, कानपुर नगर के द्वारा विद्वान विचारण न्यायाधीश को तथा पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर को संप्रेषित की जाए।"

5. विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से कहा गया है कि विचारण कछुए की गति से चल रहा है और आवेदक 12.1.2024 से जेल में बंद है, अतः कारावास की अवधि दो वर्ष से अधिक हो चुकी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि निकट भविष्य में विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि दिनांक 24.2.2026 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार छः साक्षियों का पहले ही परीक्षण हो चुका है, अतः विचारण आगे बढ़ रहा है।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं इस तथ्य पर विचार करने के उपरांत कि दूसरा जमानत आवेदन पर बल देने के लिए कोई नया आधार नहीं है और पूर्व आदेश से विभेद करने की कोई स्थिति नहीं है, मैं इस प्रकरण को आवेदक को जमानत देने योग्य नहीं पाता। जमानत आवेदन गुणहीन पाया जाता है और तदनुसार *निरस्त* किया जाता है।
8. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त प्रकरण, जो विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है, उच्चतम न्यायालय के *विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2015 (3) SCC 220* एवं *हुसैन एवं अन्य*

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बनाम भारत संघ, (2017) 5 SCC 702 के हालिया निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, यदि कोई कानूनी बाधा न हो, यथाशीघ्र शीघ्रतापूर्वक निर्णीत किया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

18 मार्च 2026

शालिनी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”